POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 10.06.2025

1. थाना इकोटेक-3 पुलिस द्वारा दो पहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुये 04 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है,कब्जे/निशादेही से चोरी की 09 मोटर साइकिल, 01 फर्जी नम्बर प्लेट व 03 अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **10.06.25** को **थाना ईकोटेक-3** पुलिस द्वारा डम्पिंग यार्ड के पास से 01 अभियुक्त रोहित पुत्र पवन झा को गिरफ्तार किया गया तथा एक बाल अपचारी साथी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है, जिनके कब्जे से 01 मोटर साईकिल हीरो स्पलैण्डर बिना नम्बर प्लैट तथा दोनो से 02 अवैध चाकू बरामद किये गये। मोटर साईकिल को चैक करने पर उक्त मोटर साईकिल चोरी की होना पाया गया , जिनसे सख्ताई से पूछताछ पर बताया कि हमने नोएड़ा क्षेत्र से काफी संख्या में मोटर साईकिले चुराई है जिन्हे हमने डम्पिंग यार्ड के पीछे पड़े खाली जंगल में छिपा रखा है जिन्हे खरीदने के लिए आज हमने राघवेन्द्र, अमित व चन्द्रभान को बुला रखा है। जिनकी निशादेही पर चोरी की मोटर साईकिलो को खरीदने वाले 03 अभियुक्तगण राघवेन्द्र, अमित मय 01 अवैध चाकू व चन्द्रभान को **गिरफ्तार** किया गया तथा डम्पिंग यार्ड के पीछे पड़े खाली जंगल में छिपाई गयी 08 चोरी की मोटर साईकिलो को बरामद गिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. रोहित पुत्र पवन झा निवासी ग्राम शाहपुर थाना पंडोल जिला मधुबनी बिहार हाल पता काली मन्दिर के पास गली नं0 03, श्रीराम कालोनी पुस्ता रोड़ कुलेसरा थाना इकोटेक 3, गौतम बुद्ध नगर उम्र करीब 19 वर्ष
2. अमित उर्फ मोदी पुत्र उदयवीर निवासी ग्राम सालपुर थाना टप्पल जिला अलीगढ़ हाल निवासी सरकारी स्कूल के सामने वाली गली श्रीराम कालोनी पुस्ता रोड़ कुलेसरा थाना इकोटेक 3, गौतम बुद्ध नगर उम्र 21 वर्ष
3. राघवेन्द्र पुत्र महेश निवासी ग्राम ऊँचा बहादुरपुर थाना अजीतमल जिला औरैया हाल पता गली नं0 05 श्रीराम कालोनी पुस्ता रोड़ ग्राम कुलेसरा थाना इकोटेक 3, गौतम बुद्ध नगर उम्र करीब 19 वर्ष
4. चन्द्रभान पुत्र श्री चौब सिंह निवासी ग्राम नंगला सहजनपुर थाना कोतवाली जिला कासगंज हाल निवासी ग्राम सदरपुर सैक्टर 45 नोएड़ा थाना सैक्टर 39 गौतम बुद्ध नगर उम्र करीब 21 वर्ष
5. एक बाल अपचारी

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0 219/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना ईकोटेक तृतीय गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 222/2025 धारा 317(5)/345(3) बीएनएस व 4/9/25 आर्म्स एक्ट थाना ईकोटेक तृतीय गौतमबुद्धनगर।

- **बरामदगी का विवरण--**

1. 09 चोरी की मोटर साईकिल
2. 03 अवैध चाकू
3. 01 फर्जी नं0 प्लेट